



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30032022-234675
CG-DL-E-30032022-234675

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 2
PART I—Section 2

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 8] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 30, 2022/चैत्र 9, 1944
No. 8] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 30, 2022/CHAITRA 9, 1944

वस्त्र मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 25 मार्च, 2022

फा. सं. 46013/29/2015-स्था.—केंद्र सरकार, वस्त्र समिति नियमावली, 1965 के नियम 3 के साथ पठित वस्त्र समिति अधिनियम, 1963 (1963 का 41) की धारा-3 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को तत्काल प्रभाव से वस्त्र समिति में नियुक्त करती है:-

क्र. सं.	वस्त्र समिति की संरचना	नियम	नियुक्त व्यक्ति का नाम एवं पदनाम
1.	अध्यक्ष	नियम 3 (1) (क)	श्री उपेन्द्र प्रसाद सिंह, सचिव, वस्त्र मंत्रालय
2.	उपाध्यक्ष	नियम 3 (1) (ख)	श्रीमती रूप राशि, वस्त्र आयुक्त, मुंबई
3.	संयुक्त सचिव, भारत सरकार, वस्त्र समितिके प्रभारी	नियम 3 (1) (ग)	श्री गौरव कुमार, आर्थिक सलाहकार, वस्त्र मंत्रालय
4.	निदेशक/उप-सचिव, आंतरिक वित्त, वस्त्र	नियम 3 (1) (घ)	श्री रविन्द्रनाथ मोहंती,

	मंत्रालय, पदेन		उप सचिव, वस्त्र मंत्रालय
5.	सचिव, वस्त्र समिति, पदेन	नियम 3 (1) (ङ)	श्री अजित बी. चव्हाण, सचिव, वस्त्र समिति
6.	अध्यक्ष, भारतीय वस्त्र उद्योग परिसंघ (पूर्व में भारतीय कपास मिल परिसंघ)	नियम 3 (1) (च)	श्री टी. राजकुमार, अध्यक्ष
7.	अध्यक्ष, विद्युतकरघा विकास एवं निर्यात संवर्धन परिषद	नियम 3 (1) (छ)	श्री एम ए रामासामी, अध्यक्ष
8.	अध्यक्ष, दि सदर्न इंडिया मिल्स एसोसिएशन	नियम 3 (1) (ज)	श्री रवि सैम, अध्यक्ष
9.	अध्यक्ष, कपास वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद	नियम 3 (1) (झ)	श्री मनोज कुमार पटोदिया, अध्यक्ष
10.	अध्यक्ष, सिंथेटिक एंड रेयान वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद	नियम 3 (1) (ञ)	श्री धीरज आर.शाह, अध्यक्ष
11.	अध्यक्ष, वस्त्र मशीनरी विनिर्माता सघ	नियम 3 (1) (ट)	श्री प्रतीक बचकानीवाला, अध्यक्ष
12.	महासचिव, भारतीय उद्योग परिसंघ	नियम 3 (1) (ठ)	श्री चंद्रजीत बनर्जी, महासचिव
13.	अध्यक्ष, अपैरल निर्यात संवर्धन परिषद	नियम 3 (1) (ड)	श्री नरेन्द्र गोयनका, अध्यक्ष
14.	अध्यक्ष, ऊन एवं ऊनी निर्यात संवर्धन परिषद	नियम 3 (1) (ढ)	श्री संजीव धर, अध्यक्ष
15.	अध्यक्ष, भारतीय कला रेशम बुनकर उद्योग परिसंघ	नियम 3 (1) (ण)	श्री भारत टी. गांधी, अध्यक्ष

2. पदेन सदस्यों के अलावा, वस्त्र समिति के प्रत्येक सदस्य के पद का कार्यकाल वस्त्र समिति की नियमावली 1965 के नियम 8 के प्रावधानों के अधीन इस संकल्प के जारी होने की तारीख से दो वर्ष के लिए होगा। नियम 3(1) (च), 3 (1) (छ) से 3 (1) (ण) के अंतर्गत नियुक्त जो सदस्य अपने पदों के फलस्वरूप औद्योगिक निकाय/संघ के सदस्य बने हैं, उन्हें उनके पदों का कार्यकाल समाप्त होते ही हटा दिया जाएगा तथा इस प्रकार उत्पन्न रिक्ति को उस कार्यालय में उसके उत्तराधिकारी द्वारा भरा गया मान लिया जाएगा।

गौरव कुमार, आर्थिक सलाहकार

आदेश

यह आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रतियां संबंधित सदस्यों को प्रेषित की जाएं।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को आम जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

गौरव कुमार, आर्थिक सलाहकार

MINISTRY OF TEXTILES

RESOLUTION

New Delhi, the 25th March, 2022

F. No. 46013/29/2015-Estt.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Textiles Committee Act, 1963 (41 of 1963) read with Rule 3 of the Textiles Committee Rules, 1965, the Central Government hereby appoints the following persons to the Textiles Committee with immediate effect:

Sr. No.	Composition of Textiles Committee	Rule	Name & Designation of the person appointed
1.	Chairman	Rule 3 (1) (a)	Shri Upendra Prasad Singh, Secretary, Ministry of Textiles
2.	Vice Chairman	Rule 3 (1) (b)	Smt. Roop Rashi Textile Commissioner, Mumbai

Sr. No.	Composition of Textiles Committee	Rule	Name & Designation of the person appointed
3.	Joint Secretary to the Government of India, In-charge of Textiles Committee	Rule 3 (1) (c)	Shri Gaurav Kumar Economic Advisor, Ministry of Textiles.
4.	Director / Deputy Secretary, Internal Finance, Ministry of Textiles, ex-officio.	Rule 3 (1) (d)	Shri Rabindranath Mohanty Deputy Secretary, Ministry of Textiles.
5.	Secretary, Textiles Committee, ex-officio	Rule 3 (1) (e)	Shri Ajit B. Chavan, Secretary, Textiles Committee.
6.	Chairman, Confederation of Indian Textile Industry(formerly Indian Cotton Mills Federation)	Rule 3 (1) (f)	Shri T. Rajkumar, Chairman
7.	Chairman, Powerloom Development & Export Promotion Council	Rule 3 (1) (g)	Shri M A Ramasamy, Chairman
8.	Chairman, Southern Indian Mills Association	Rule 3 (1)(h)	Shri Ravi Sam, Chairman
9.	Chairman, Cotton Textiles Export Promotion Council	Rule 3 (1)(i)	Shri Manoj Kumar Patodia, Chairman
10.	Chairman, Synthetic and Rayon Textile Export Promotion Council	Rule 3 (1)(j)	Shri Dhiraj R. Shah, Chairman
11.	President, Textile Machinery Manufacturers Association	Rule 3 (1)(k)	Shri Pratik Bachkaniwala, President
12.	Secretary General, Confederation of Indian Industry	Rule 3 (1)(l)	Shri Chandrajit Banerjee, Secretary General
13.	Chairman, Apparel Export Promotion Council	Rule 3 (1)(m)	Shri Narendra Goenka, Chairman
14.	Chairman, Wool & Woollens Export Promotion Council	Rule 3 (1)(n)	Shri Sanjeev Dhir, Chairman
15.	President, Federation of Indian Art Silk Weaving Industry	Rule 3 (1)(o)	Shri Bharat T. Gandhi, President

2. The term of the office of every member of the Textiles Committee, other than ex-officio members, shall be for two years with effect from the date of issue of this Resolution subject to the provisions of Rule 8 of the Textiles Committee Rules 1965. The members of the persons appointed under Rule 3(1) (f), 3(1) (h) to 3(1) (o) by virtue of their posts as Chairman, President etc. of the industry Bodies / Associations shall be terminated when he or she ceases to hold that office and the vacancy so caused shall be deemed to have been filled up by his / her successor to that office.

GAURAV KUMAR, Economic Advisor

ORDER

ORDERED that copies of the Resolution may be communicated to the concerned Members.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazetted of India for general information.

GAURAV KUMAR, Economic Advisor